विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) राजस्व पुनरीक्षण

प्र.क्रं. / 2017 I/निग/मं/मंडला/भू.रा./2017/2952 प्रस्तुत दिनांक 21.08.2017

1. श्रीमति रामबाई पत्नि स्व. अमोल सिंह ठाकुर उम्र 65 वर्ष
2. अमरीक सिंह पिता स्व. अमोल सिंह ठाकुर उम्र 45 वर्ष
3. भूपेन्द्र सिंह पिता स्व. अमोल सिंह ठाकुर उम्र 32 वर्ष

सभी निवासी निरंकारी भवन के पास बिंझिंया

तह. व जिला मण्डला (म.प्र.)

4. श्रीमति संयोगिता पत्नि गिरीश जंघेला पुत्री स्व. अमोल सिंह ठाकुर

उम्र 30 वर्ष निवासी खैरमाई वार्ड बिंझिंया

तह. व जिला मण्डला (म.प्र.) .... पुनरीक्षणकर्तागण

श्री ...... द्वारा आज दि. 28/8/17 को प्रस्तुत
28.8.17
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

श्रीमति दुर्गावती डोंगसरे पत्नि स्व. विपिन बिहारी डोंगसरे

उम्र 60 वर्ष निवासी डोंगसरे ज्वेलर्स सदर बाजार मण्डला

तह. व जिला मण्डला (म.प्र.) .... उत्तरवादी

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 7 म.प्र.वास स्थान दखलकार

(भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980

पुनरीक्षणाधीन आदेश :–

श्रीमान् तहसीदार महोदय मण्डला ने रा.प्र.क्रं. 408(बी–121)2016–17 पक्षकार श्रीमति दुर्गावती डोंगसरे विरूद्ध रामबाई वगै. में पारित आदेश दिनांक 29.06.2017 एवं 12.07.2017 के विरूद्ध ।

परिसीमा :–

पुनरीक्षणकर्तागणों के द्वारा उक्त आदेश पत्रिका की नकल प्राप्ति हेतु दिनांक 14.07.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उसे संबधित नकल की प्रतिलिपि दिनांक 20.07.2017 को प्राप्त होने पर समय सीमा 60 दिन के अंदर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रकरण के तथ्य :–

यह कि, आवेदिका श्रीमति दुर्गावती ग्राम बिंझिंया प.ह.नं. 28 तह. व जिला मण्डला में स्थित भूमि खसरा नं. 148/1ख/1 में से रकबा 40X60=2400 वर्गफुट भूमि का म.प्र. वास स्थान दखलकार अधिनियम के अंतर्गत मूल अनावेदिका दशोदी बाई को

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / निगानी / मण्डला / भूरा / 2017 / 2952

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11–10–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मण्डला के प्रकरण कमांक 408 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.6.17 एवं 12.7.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न प्रकरण का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रकरण कमांक निगरानी 1073–एक / 17 के आदेश पत्रिका दिनांक 3.04.17 में स्थगन दिया गया था उसके बाद भी कार्यवाही संचालित की जा रही थी। अतः तहसीलदार मण्डला द्वारा वरिष्ठ न्यायालय की अवहेलना की जा रही है। 3–प्रकरण का परिशीलन किया गया तहसीलदार मण्डला द्वारा दिनांक 29.6.17 को अनावेदक को आहूत किये जाने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार दिनांक 12.7.17 को अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। अतः स्थगन के बावजूद भी तहसीलदार मण्डला द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की गई है जिससे उनका आदेश दिनांक 29.6.17 एवं 12.7.17 त्रुटिपूर्ण आदेश है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता। 4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मण्डला के	

प्रकरण कमांक 408/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.6.17 एवं 12.7.17 त्रुटिपूर्ण आदेश होने से निरस्त किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य)